

¹[चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आवंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आवंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

सारणी

1.आंध्र प्रदेश	18
2. असम	7
3. बिहार	²[16]
³[4. झारखंड	6]
⁴[⁵[5. गोवा	1]
⁶[⁵[6.] गुजरात	11]
⁷[⁵[7.] हरियाणा	5]
⁸[8.] केरल	9
⁹[⁹.] मध्य प्रदेश	⁸[11]
⁹[⁹[10.] छत्तीसगढ़	5]
¹⁰[⁹[11.] तमिलनाडु]	¹¹[18]
¹²[⁹[12.] महाराष्ट्र	19]
¹³[⁹[13.] कर्नाटक]	12
⁵[14.] उडीसा	10
⁵[15.] पंजाब	¹⁴[7]
⁵[16.] राजस्थान	10
⁵[17.] उत्तर प्रदेश	¹⁵[31]
¹⁶[⁹[18. उत्तरांचल	3]
¹⁷[19.पश्चिमी बंगल	16
¹[20.] जम्मू-कश्मीर	4
¹⁸[¹[21.] नागालैंड	1]
¹⁹[¹[22.] हिमाचल प्रदेश....	3]
¹[23.] मणिपुर	1
¹[24.] त्रिपुरा	1
¹[25.] मेघालय	1
²⁰[¹[26.] सिक्किम	1]
²¹[¹[27.] मिजोरम	1]
²²[¹[28.] अरुणाचल प्रदेश	1]
[29.] दिल्ली	3
¹[30. पांडिचेरी	1
	योग :-
	<u>²³[233]]</u>

¹ संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा चौथी अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित।

² बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) “22” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

³ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 अंतःस्थापित।

⁴ गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित।

⁵ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

⁶ मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁷ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित।

⁸ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) “16” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

⁹ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 7 द्वारा (1-11-2000 से) अंतःस्थापित।

¹⁰ मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) “11” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹¹ आंध्र प्रदेश और मद्रास राज्य (रीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 8 द्वारा (1-4-1960 से) “17” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹² मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 6 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित।

¹³ मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) “13. मैसूर” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹⁴ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 9 द्वारा (1-11-1966 से) “11” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹⁵ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) “34” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹⁶ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 7 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित।

¹⁷ बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 7 द्वारा (15-11-2000 से) प्रविष्टि 4 से 29 को क्रमशः प्रविष्टि 5 से 30 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

¹⁸ नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 6 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित।

¹⁹ हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 5 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित।

²⁰ संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 4 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित।

²¹ मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।

²² अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 5 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित।

²³ गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 6 द्वारा (30-05-1987 से) “232” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

¹[FOURTH SCHEDULE
[Articles 4(1) and 80(2)]
Allocation of seats in the Council of States

To each State or Union territory specified in the first column of the following table, there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State or that Union territory, as the case may be:

TABLE

1.	Andhra Pradesh	18
2.	Assam.....	7
3.	Bihar.....	² [16]
³ [4]	Jharkhand	6
⁴ [5][5.]	Goa.....	1]
⁶ [5][6.]	Gujarat.....	11]
⁷ [5][7.]	Haryana.....	5]
⁵ [8.]	Kerala.....	9
⁵ [9.]	Madhya Pradesh	⁸ [11]
⁹ [5][10.]	Chhattisgarh	5]
¹⁰ [5][11.]	Tamil Nadu]	¹¹ [18]
¹² [5][12.]	Maharashtra	19]
¹³ [5][13.]	Karnataka	12]
⁵ [14.]	Orissa	10
⁵ [15.]	Punjab	¹⁴ [7]
⁵ [16.]	Rajasthan	10
⁵ [17.]	Uttar Pradesh	¹⁵ [31]
¹⁶ [5][18.]	Uttarakhand	3]
⁵ [19.]	West Bengal	16
⁵ [20.]	Jammu and Kashmir	4
¹⁷ [5][21.]	Nagaland	1]
¹⁸ [5][22.]	Himachal Pradesh	3]
⁵ [23.]	Manipur	1
⁵ [24.]	Tripura	1
⁵ [25.]	Meghalaya	1
¹⁹ [5][26.]	Sikkim	1]
²⁰ [5][27.]	Mizoram	1]
²¹ [5][28.]	Arunachal Pradesh	1]
⁵ [29.]	Delhi	3
⁵ [30.]	Pondicherry	1

Total	=	²² [233]]
-------	---	----------------------

1. Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956, s. 3, for the Fourth Sch.
2. Subs. by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s.7, for “22” (w.e.f. 15-11-2000).
3. Ins. by s. 7, *ibid.* (w.e.f. 15-11-2000).
4. Ins. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 6 (w.e.f. 30-5-1987).
5. Entries 4 to 29 renumbered as entries 5 to 30 by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 7 (w.e.f. 15-11-2000).
6. Subs. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 6, for “4” (w.e.f. 1-5-1960).
7. Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 9 (w.e.f. 1-11-1966).
8. Subs. by the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), s. 7, for “16” (w.e.f. 1-11-2000).
9. Ins. by s. 7, *ibid.* (w.e.f. 1-11-2000).
10. Subs. by the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 (53 of 1968), s. 5, for “11” (w.e.f. 14-1-1969).
11. Subs. by the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959 (56 of 1959), s. 8, for “17” (w.e.f. 1-4-1960).
12. Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 6 (w.e.f. 1-5-1960).
13. Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 5, for “13” (w.e.f. 1-11-1973).
14. Subs. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 9, for “11” (w.e.f. 1-11-1966).
15. Subs. by the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), s 7, for “34” (w.e.f. 9-11-2000).
16. Ins. by s.7, *ibid.* (w.e.f. 9-11-2000).
17. Ins. by the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), s. 6 (w.e.f. 1-12-1963).
18. Ins. by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 5 (w.e.f. 25-1-1971).
19. Ins. by the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Act, 1975, s. 4 (w.e.f. 26-4-1975).
20. Ins. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 5 (w.e.f. 20-2-1987).
21. Ins. by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 5 (w.e.f. 20-2-1987).
22. Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 6, for “232” (w.e.f. 30-5-1987).